			Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding his appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years, as on the closing date of receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades, from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not Applicable	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Senior Deputy Accountant General or Director –Chairperson; 2. Deputy Accountant General or Deputy Director –Member; and 3. Senior Accounts Officer or Senior Audit Officer -Member. **Departmental Promotion Committee (for considering promotion of Senior Accounts Clerk in the State of West Bengal) consisting of:-** 1. Senior Deputy Accountant General –Chairperson; 2. Deputy Accountant General –Member; and 3. Senior Accounts Officer -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/04/2013-EG (Vol-II)]
NIRMALA DEV, Dy. Secy (EG)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 179.— राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में (सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 2016, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, (सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और उससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स मे स्तर वे होंगे, जो पुर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है । या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा ।

7. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में नियोजित व्यक्तियों को यथा लागू केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंद्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक लेखा अधिकारी	2347* (2020)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है **टिप्पण:** पद संख्या के राज्यवार ब्योरे निम्नानुसार है: आंध्र प्रदेश – 72 अरुणाचल प्रदेश – 12 असम – 79 विहार – 91 छत्तीसगढ़ - 56 गुजरात –100 हरियाणा – 74 हिमाचल प्रदेश - 56 जम्मू-कश्मीर – 66 झारखंड - 52 कर्नाटक –130	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 8, (47600-151100 रु.)। टिप्पण: नियमित सेवा के 4 वर्ष पूरे होने पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 9	चयन पद	30 वर्ष से अधिक नहीं । **टिप्पण 1-** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी ।

	केरल – 229 मध्य प्रदेश – 169 महाराष्ट्र – 178 मणिपुर – 19 मेघालय - 25 मिजोरम - 12 नागालैंड- 15 ओडिशा - 133 पंजाव -84 राजस्थान- 75 सिक्किम - 8 तमिलनाडु -162 तेलंगाना - 72 त्रिपुरा - 24 उत्तराखंड - 35 उत्तर प्रदेश – 188 पश्चिम वंगाल - 131 कुल - 2347				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा मे लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं.- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय या संस्थान से किसी भी विधाशाखा में वैचलर डिग्री। (ii) उस राज्य के लिए जिसमें रिक्तियाँ विधमान है और उस राज्य के राज्य महालेखाकार कार्यालय मे भर्ती होनी है, विनिर्दिष्ट भाषा का और यथाविहित स्तर पर और परीक्षा लिए जाने के लिए भाषा प्रवीणता। **वांछनीय अर्हताएं.-** चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल या कंपनी सचिव या वाणिज्य में मास्टर्स या कारोवार अध्ययन में मास्टर्स या कारोवार प्रशासन (वित) में मास्टर्स या कारोवार अर्थशास्त्र में मास्टर्स।	**आयु:** लागू नहीं होता। **आवश्यक अर्हताएं:** लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण 1-** सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों का चयन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। **टिप्पण 2-** सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान सहायक लेखा अधिकारी के रूप में पुष्टि और नियमित नियुक्ति के लिए "अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा" अर्हत करना होगा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: ऐसे विभागीय अभ्यर्थी जो भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उतीर्ण किया है । **प्रतिनियुक्ति या आमेलन :** भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी या भारत सरकार के अधीन किसी लेखा संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी : (i) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रु.) में ऐसे सहायक लेखा अधिकारी या सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के सदृश पदधारण किए हुए है ; या (ii) जो भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग के दूसरे संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के अधीन अधीनस्थ लेखा सेवा या अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा उतीर्ण या केंद्रीय सरकार के अधीन किसी लेखा संगठन में समतुल्य परीक्षा उतीर्ण की हो । **टिप्पण 1:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए):- 1. संवंधित राज्य के संवर्ग नियंत्रक अधिकारी; 2. संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संवंधित राज्य में ज्येष्ठतम अधिकारी; 3. संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संवंधित राज्य में अगले ज्येष्ठतम अधिकारी । **टिप्पण.-** उपरोक्त में से ज्येष्ठतम अध्यक्ष होंगे वशर्ते कि जहाँ ऐसे अधिकारी की अनुपलवधता संवंधित राज्य में पद न होने या पद के रिक्त होने या अधिकारी की लम्वी अनुपस्थिति के कारण हो, दूसरे राज्य के अधिकारी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकते है । **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (सीधी भर्ती की पुष्टि पर विचार करने के लिए):-** 1. संवंधित राज्य के संवर्ग नियंत्रक अधिकारी; 2. संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संवंधित राज्य में ज्येष्ठतम अधिकारी; 3. संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संवंधित राज्य में अगले ज्येष्ठतम अधिकारी । **टिप्पण.-** उपरोक्त में से ज्येष्ठतम अध्यक्ष होंगे वशर्ते कि जहाँ ऐसे अधिकारी की अनुपलवधता संवंधित राज्य में पद न होने या पद के रिक्त होने या अधिकारी की लम्वी अनुपस्थिति के कारण हो, दूसरे राज्य के अधिकारी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकते है ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	**9589* (2020)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है** **टिप्पण: पद संख्या के राज्यवार ब्योरे निम्ननुसार है:**	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -8, (47600-151100 रु.) टिप्पण: नियमित सेवा	चयन पद	30 वर्ष से अधिक नहीं । **टिप्पण 1-** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है

	आंध्र प्रदेश – 182 अरुणाचल प्रदेश – 37 असम – 148 बिहार – 250 छत्तीसगढ़ - 191 दिल्ली - 604 गोवा - 37 गुजरात – 290 हरियाणा – 157 हिमाचल प्रदेश - 130 जम्मू-कश्मीर – 179 झारखंड - 186 कर्नाटक – 325 केरल – 258 मध्य प्रदेश – 346 महाराष्ट्र – 405 मणिपुर – 37 मेघालय - 32 मिजोरम - 27 नागालैंड - 34 ओडिशा - 240 पंजाब - 250 राजस्थान - 314 सिक्किम -21 तमिलनाडु - 430 तेलंगाना - 294 त्रिपुरा -47 उत्तराखंड - 101 उत्तर प्रदेश – 395 पश्चिम बंगाल -541 वाणिज्यक लेखापरीक्षा कार्यालय - 1566 रेल लेखापरीक्षा कार्यालय - 636 रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय – 392 डाक-तारलेखापरीक्षा कार्यालय – 436 विदेशी लेखापरीक्षा कार्यालय - 15 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र/अंतर-राष्ट्रीय सूचना तंत्र और लेखापरीक्षा केन्द्र/अंतर-राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा और पोषणीय विकास केन्द्र /राष्ट्रीय लेखापरीक्षा और लेखा		के 4 वर्ष पूरे होने पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9			**टिप्पण 2-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी

	अकादमी - 56				
	महायोग — 9589				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा मे लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति**: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं.- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय या संस्थान से किसी भी विधाशाखा में बैचलर डिग्री । (ii) उस राज्य के लिए जिसमें रिक्तियाँ विधमान है और उस राज्य के राज्य महालेखाकार कार्यालय मे भर्ती होनी है, विनिर्दिष्ट भाषा का और यथाविहित स्तर पर और परीक्षा लिए जाने के लिए भाषा प्रवीणता । **वांछनीय अर्हताएं.-** चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल या कंपनी सचिव या वाणिज्य में मास्टर्स या कारोवार अध्ययन में मास्टर्स या कारोबार प्रशासन (वित) में मास्टर्स या कारोवार अर्थशास्त्र में मास्टर्स ।	**आयु:** लागू नहीं होता । **आवश्यक अर्हताएं:** लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण 1-** सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों का चयन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । **टिप्पण 2-** सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पुष्टि और नियमित नियुक्ति के लिए अपने शाखाओं में "अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा" अर्हत करना होगा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रोन्नति: ऐसे विभागीय अभ्यर्थी जो भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा उतीर्ण किया है। **प्रतिनियुक्ति या आमेलन :** भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी लेखा संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी : (i) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रु०) में ऐसे सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी या सहायक लेखा अधिकारी के सदृश पदधारण किए हुए है ; या (ii) जो भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग के दूसरे संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के अधीन अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा या अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उतीर्ण या केंद्रीय सरकार के अधीन किसी लेखा संगठन में समतुल्य परीक्षा उतीर्ण की हो । **टिप्पण 1:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए):- 1. संवंधित राज्य के संवर्ग नियंत्रक अधिकारी ; 2. संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संवंधित राज्य में ज्येष्ठतम अधिकारी ; 3. संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संवंधित राज्य में अगले ज्येष्ठतम अधिकारी । **टिप्पण.-** उपरोक्त में से ज्येष्ठतम अध्यक्ष होंगे वशर्ते कि जहाँ ऐसे अधिकारी की अनुपलवधता संवंधित राज्य में पद न होने या पद के रिक्त होने या अधिकारी की लम्वी अनुपस्थिति के कारण हो, दूसरे राज्य के अधिकारी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकते है । **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (सीधी भर्ती की पुष्टि पर विचार करने के लिए):-** 1. संवंधित राज्य के संवर्ग नियंत्रक अधिकारी; 2. संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संवंधित राज्य में ज्येष्ठतम अधिकारी ; 3. संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संवंधित राज्य में अगले ज्येष्ठतम अधिकारी । **टिप्पण.-** उपरोक्त में से ज्येष्ठतम अध्यक्ष होंगे वशर्ते कि जहाँ ऐसे अधिकारी की अनुपलवधता संवंधित राज्य में पद न होने या पद के रिक्त होने या अधिकारी की लम्वी अनुपस्थिति के कारण हो, दूसरे राज्य के अधिकारी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकते है ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

[फा.सं. ए.12034/04/2018-ई.जी (जिल्द-II)]
निर्मला देव, उप सचिव (ई जी)

New Delhi, the 17th November, 2020

G.S.R. 179.— In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Assistant Accounts Officer and Assistant Audit Officer) Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Accounts Officer and Assistant Audit Officer, in the field offices of the Indian Audit and Accounts Department namely:

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Assistant Accounts Officer and Assistant Audit Officer) Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall be applicable to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**— The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**— No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**— Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard as applicable to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Assistant Accounts Officer	2347*(2020)/*subject to variation depending on workload **Note:** State-wise number of post is as under: Andhra Pradesh – 72 Arunachal Pradesh – 12 Assam – 79 Bihar – 91 Chhattisgarh – 56 Gujarat – 100 Haryana – 74 Himachal Pradesh – 56 Jammu & Kashmir – 66 Jharkhand – 52 Karnataka – 130 Kerala – 229 Madhya Pradesh – 169 Maharashtra – 178 Manipur – 19 Meghalaya – 25 Mizoram – 12 Nagaland – 15 Odissa – 133 Punjab – 84 Rajasthan – 75 Sikkim – 8 Tamilnadu – 162 Telangana – 72 Tripura – 24 Uttarakhand – 35 Uttar Pradesh – 188 West Bengal – 131 Total – **2347**	General Central Services, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level-8 (Rs. 47600-151100) **Note:-** Level-9 of the pay matrix on completion of four years of regular service.	Selection post	Not exceeding 30 years. **Note 1:-** Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification: (i) Bachelor's Degree in any discipline from a recognised University or Institute. (ii)Language proficiency for the language specified, and at the level as prescribed and to be tested, for the State in which the vacancies exist and recruitment is to take place, in the office of State Accountants General. **Desirable Qualifications:** Chartered Accountant or Cost Accountant or Company Secretary or Masters in Commerce or Masters in Business Studies or Masters in Business Administration (Finance) or Masters in Business Economics.	**Age:** Not applicable. Educational **Qualification:** Not Applicable.	2 years for direct recruits.	By promotion failing which by deputation or absorption failing both by direct recruitment. **Note 1:-** The direct recruits shall be selected on the basis of an entrance examination conducted by the Staff Selection Commission. **Note 2:-** During the period of probation, direct recruits shall have to qualify the "Subordinate Accounts Service Examination" for confirmation and regular appointment as Assistant Accounts Officer.

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption grades, from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion : Departmental candidates who have passed the Subordinate Accounts Service Examination conducted by the Comptroller and Auditor General of India or any authority specified by him. **Deputation or absorption:** Officers under the Cadre Controlling Authority in the Indian Audit and Accounts Department or in any Organised Accounts Cadre under the	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (1) Cadre Controlling Officer of the concerned State; (2) Senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State; (3) Next senior most officer, other than Cadre Controlling Officer in the concerned State. **Note:** The senior most amongst them shall be the Chairperson, provided that where such officers are not available in the State due to	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Government of India: (i) holding analogous posts of Assistant Accounts Officer or Assistant Audit Officer in Level-8 in pay matrix (Rs 47600-151100); or (ii) who, has passed the Subordinate Accounts Service or Subordinate Audit Service Examination under other Cadre Controlling Authority in the Indian Audit and Accounts Department or an equivalent examination in any Organised Accounts Cadre under the Government of India. **Note 1:-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:-** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	vacancy or non-availability of posts or long absence, of individual officer, officer from outside the State may be nominated by the Comptroller and Auditor General of India. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation of direct recruits) consisting of :-** (1) Cadre Controlling Officer of the concerned State; (2) Senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State; (3) Next senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State. **Note:** The senior most amongst them shall be the Chairperson, provided that where such officers are not available in the State due to vacancy or non-availability of posts or long absence of individual officer, officer from outside the State may be nominated by the Comptroller and Auditor General of India.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Audit Officer	9589* (2020) subject to variation depending on workload Note: Branch-wise number of post is as under: State Civil Audit Office: Andhra Pradesh – 182	General Central Services, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 (Rs. 47600-151100) Note:- Level-9 of the pay matrix on completion of four years of	Selection post	Not exceeding 30 years. **Note 1:-** Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with

	Arunachal Pradesh – 37 Assam – 148 Bihar – 250 Chhattisgarh – 191 Delhi – 604 Goa – 37 Gujarat – 290 Haryana – 157 Himachal Pradesh – 130 Jammu & Kashmir – 179 Jharkhand – 186 Karnataka – 325 Kerala – 258 Madhya Pradesh – 346 Maharashtra – 405 Manipur – 37 Meghalaya – 32 Mizoram – 27 Nagaland – 34 Odissa – 240 Punjab – 250 Rajasthan – 314 Sikkim – 21 Tamilnadu – 430 Telangana – 294 Tripura – 47 Uttarakhand – 101 Uttar Pradesh – 395 West Bengal – 541 Commercial Audit Offices – 1566 Railway Audit Offices – 636 Defence Audit Offices – 392 P&T Audit Offices – 436 Overseas Audit Offices – 15 Regional Training Institute / Regional Training Centre / International – 56		regular service.		the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

	Centre for Information System & Audit /International Centre for Environment Audit & Sustanable Development /National Academy of Audit and Accounts **Grand Total – 9589**				

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification: (i) Bachelor's degree in any discipline from a recognised University or Institute. (ii) Language proficiency for the language specified, and at the level as prescribed and to be tested, for the State in which the vacancies exist and recruitment is to take place, in the office of State Accountants General. **Desirable Qualifications:** Chartered Accountant or Cost Accountant or Company Secretary or Masters in Commerce or Masters in Business Studies or Masters in Business Administration (Finance) or Masters in Business Economics.	**Age:** Not applicable. **Educational Qualification:** Not Applicable.	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by deputation or absorption failing both by direct recruitment. **Note 1:-** The direct recruits shall be selected on the basis of an entrance examination conducted by the Staff Selection Commission. **Note 2:-** During the period of probation, direct recruits shall have to qualify "Subordinate Audit Service Examination" in respective branches for confirmation and regular appointment as Assistant Audit Officer.

(11)	(12)	(13)
Promotion : Departmental candidates who have passed the Subordinate Audit Service Examination conducted by the Comptroller and Auditor General of India or any authority specified by him. **Deputation or absorption:** Officers under the Cadre Controlling Authority in the Indian Audit and Accounts Department or in any Organised Accounts Cadre under the Government of India: (i) holding analogous posts of Assistant	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (1) Cadre Controlling Officer of the concerned State; (2) Senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State; (3) Next senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State. Note.- The senior most amongst them shall be the Chairperson, provided that where such officers are not available in the State due	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Audit Officer or Assistant Accounts Officer in Level-8 in pay matrix (Rs 47600-151100); or (ii) who, has passed the Subordinate Audit Service or Subordinate Accounts Service Examination under other Cadre Controlling Authority in the Indian Audit and Accounts Department or an equivalent examination in any Organised Accounts Cadre under the Government of India. **Note 1:-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:-** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	to vacancy or non-availability of posts or long absence, of individual officer, officer from outside the State may be nominated by the Comptroller and Auditor General of India. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation of direct recruits)consisting of :-** (1) Cadre Controlling Officer of the concerned State; (2) Senior most officer, other than Cadre Controlling Officer in the concerned State; (3) Next senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State. **Note.-** The senior most amongst them shall be the Chairperson, provided that where such officers are not available in the State due to vacancy or non-availability of posts or long absence of individual officer, officer from outside the State may be nominated by the Comptroller and Auditor General of India.	

[F. No. A-12034/04/2018-EG (Vol. II)]
NIRMALA DEV, Dy. Secy. (EG)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(राष्ट्रपति भवन)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 180 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मंत्रिमंडल सचिवालय सवार हरकारा भर्ती नियम 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण